

दी जिला प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक समिति,
शाखा :

फोटो रहनकर्ता

रहन—नामा

यह रहन—नामा आज दिनांक मास सन दो हजार
को श्री सुपुत्र श्री

..... सुपुत्र श्री आयु वर्ष व्यवसाय
जाति निवासी गाँव डाकखाना तहसील

..... जिला सदस्य दी जिला प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक
सीमित, शाखा (सहकारी समीति) दाखला नं० (जो आगे रहनकर्ता कहा गया है,
जिसमें उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, विधिक प्रतिनिधि एवं समनुदेशित एवं नियुक्त व्यक्ति सम्मिलित होंगे) जो
कि निम्न लेख के विरुद्ध नहीं, प्रथम पक्ष व दी जिला प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण
विकास बैंक सीमित, शाखा (सहकारी समीति), जो रहन ग्रहीता कहा जाएगा, द्वितीय पक्ष होगा
परस्पर नीचे लिखी शर्तों पर लिखा गया है:-

जो कि रहन ग्रहीता ने रहनकर्ता को कार्य के लिए मुबलिग रूपये जिसके आधे रूपये
रूपये जिसके आधे रूपये होते हैं नीचे लिखी गई जमानत एवं शर्तों पर देना स्वीकार किया है जो
निम्न प्रकार से होगी। अब यह रहन—नामा निम्न प्रकार से साक्षी है:-

1. यह कि रहन ग्रहीता ने रहनकर्ता को मुबलिग रूपये जिसके आधे रूपये
होते हैं, का ऋण दे दिया है या स्वीकार किया है जिसके लिए रहनकर्ता अपनी कृषि योग्य भूमि जिसका
क्षेत्रफल एकड़..... कनाल मरले अन्तिम जमाबन्दी / खतौनी पैमाइश वर्ष
के अनुसार जिसका परिशिष्ट (अ) में विवरण दिया गया है और जिसमें अन्य दूसरी चीजें भी सम्मिलित
हैं। रहनकर्ता उपरोक्त ऋण राशि पर बनने वाले ब्याज तथा इस ऋण के वितरण एवं प्रत्युद्धरण में होने वाले
सभी दूसरों व्ययों की राशि के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा। यदि रहनकर्ता उक्त राशि व उसके ब्याज
तथा बाद में वर्णित अन्य मदों पर खर्च की गई राशि को लौटाने में असमर्थ होता है तो रहन ग्रहीता को अन्य
अधिकारों के साथ रहनकर्ता की बन्धक सम्पत्ति को बिना किसी न्यायालय के हस्तक्षेप के बेचने का अधिकार
होगा। यह बिना न्यायालय के हस्तक्षेप के बेचने का अधिकार स्पष्ट रूप से इस रहन पत्र द्वारा रहन ग्रहीता
को दिया जाता है और इस प्रकार बन्धक सम्पत्तियां उसके द्वारा मनोनीत अन्य व्यक्ति को बन्धक ऋण धन या
उसके किसी हिस्से को लौटाने की असमर्थता में बन्धक सम्पत्ति को बिना न्यायालय के हस्तक्षेप के बेचने
सम्बन्धी कार्यवाही करने का अधिकार होगा जैसा कि हरियाणा सहकारी समीतियां अधिनियम 1984 की धारा
75 व 75(i)(ii) एवं 80 में निहित है।
2. यह कि रहनकर्ता उपरोक्त भूमि को आड़ रहन करने के उपरान्त ऋण प्राप्ति से पहले दी
जिला प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक सीमित, शाखा के अपनी ही श्रेणी
के कोई भी दो "ए" श्रेणी सदस्यों की जमानत भी दिलवाएगा।
3. यह कि रहनकर्ता धोषणा करता है कि ऋण किस्तों की ब्याज सहित समय पर अदायगी सुनिश्चित करने हेतु
अपने बैंक खाते के अथवा अपने परिवार के किसी भी सदस्य अथवा किसी अन्य व्यक्ति के खाते के देय तिथि
अनुसार निर्धारित किस्तों की राशि के उत्तर दिनांकित चैक रहन ग्रहीता के नाम से, जो रहन ग्रहीता को
स्वीकार्य हो, ऋण प्राप्त करने से पहले रहन ग्रहीता के पास हल्किया ब्यान सहित जमा करवाएगा। ऐसे चैक
किसी स्थानीय बैंक पर आहरित होंगे।
4. यह कि रहनकर्ता द्वारा निर्धारित देय तिथि तक ऋण किस्तों की राशि रहन ग्रहीता के पास नकद जमा
करवाएगा और यदि किस्त की राशि देय तिथि तक नकद जमा नहीं की गई तो रहन ग्रहीता, रहनकर्ता द्वारा
दिए चैकों के माध्यम से वसूली कर सकता है। ऐसी स्थिति में रहनकर्ता की उस बैंक खाते में जिसके चैक
रहन ग्रहीता को दिए गए हैं, आवश्यक धन राशि उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी होगी। इसके अतिक्रित यदि
किसी कारणवश चैक पास नहीं होते हैं और वे चैक रहन ग्रहीता के पास बिना भुगतान हुए वापिस आ जाते
हैं तो रहन ग्रहीता को Negotiable Instrument Act की धारा 138 के तहत कानूनी कार्यवाही करने
का अधिकार होगा।

5. यह कि रहनकर्ता प्रतिज्ञा करता है कि यदि वह किसी कारणवश तीन लगातार किस्तों की अदायगी करने में असमर्थ होता है तो उस स्थिति में रहनकर्ता अपनी रहन की गई भूमि को रहन ग्रहीता को पटटे पर देगा ताकि ऋण किस्तों की वसूली की जा सके। इस बारे पटटे पर देने की सहमति पत्र रहनकर्ता द्वारा ऋण प्राप्त करने से पहले ही दे दी जाएगी। यदि पटटे की राशि से भी निर्धारित किस्तों की वसूली नहीं होती तो रहन की गई भूमि को बेच कर अतिदेय ऋण राशि ब्याज सहित नियमनुसार वसूल करने का रहन ग्रहीता को अधिकार होगा। ऋण की समय पर अदायगी न होने की स्थिति में The Haryana Agricultural Credit Operations and Miscellaneous Provisions (Banks) Act-1973, हरियाणा सहकारी समीतियां अधिनियम 1984, हरियाणा सहकारी समीतियां नियम 1989 एवं जिला प्राथमिक सहकारी कृषि एवं मुद्रा विकास बैंक (सहकारी समीति) के उपनियमों के अधीन विभिन्न धाराओं तथा नियमों के अनुसार वसूली करने का रहन ग्रहीता को पूर्ण अधिकार होगा।
6. यह है कि रहनकर्ता ने उपरोक्त ऋण राशि इस प्रकार ली है कि वह वर्षों में मूलधन की एक समान अर्ध वार्षिक/त्रिमासिक/मासिक किस्तों एवं निर्धारित तिथि तक का ब्याज रूपये प्रतिशत ब्याज की दर से रहन ग्रहीता को उसके पंजीकृत कार्यालय दी जिला प्राथमिक सहकारी कृषि एवं मुद्रा विकास बैंक सीमित, शाखा..... (सहकारी समीति) या अन्य स्थान जो रहन ग्रहीता द्वारा बताया जाएगा, अदा करेगा। रहन ग्रहीता को यह भी अधिकार होगा कि किसी भी समय रहनकर्ता को नोटिस देकर ब्याज की दर में परिवर्तन कर सकेगा। इसके अतिरिक्त यदि ऋण की किस्तों मासिक अथवा त्रिमासिक आधार पर निर्धारित नहीं की गई उन किस्तों की राशि जो कि रहनकर्ता ने रहन ग्रहीता को अदा करनी है, को भी बदलने का वैध अधिकार होगा। निर्णित किस्तों की अदायगी 30 जून या 31 दिसम्बर तक जो कि ऋण की राशि वितरण के छः माह पश्चात पहले आएगा, देय होगी। यदि रहनकर्ता किस्तों की अदायगी में असमर्थ होता है या ऋण उक्त बैंक के अधिनियमों के अन्तर्गत वापिस मांगा गया हो या इस रहन-नामा के लेखों में से किसी एक लेख का भी उल्लंधन किया गया हो तो रहन ग्रहीता को ऋण देने की अवधि के विचार किए बिना वापिस मांगने का अधिकार होगा और कुल ऋण देय राशि का ब्याज जिसकी दर रूपये प्रतिशत होगी जो कि वापिस मांगे जाने की तिथि से प्रति उद्धरण तक उन सभी व्ययों सहित जो कि पहले वर्णन किये गए हैं, वसूल करने का अधिकार होगा।
7. यह है कि यदि मूलधन अथवा ब्याज की कोई किस्त निर्धारित तिथि तक या उससे पहले अदा नहीं की गई तो रहनकर्ता को निर्धारित ब्याज दर से 2 प्रतिशत अधिक वार्षिक दर से ब्याज देना होगा। यह 2 प्रतिशत जुर्माना ब्याज कुल बकाया ऋण राशि पर लगाकर वसूली की जाएगी एवं जब तक रहनकर्ता अतिदेयी रहेगा जुर्माना ब्याज उपरोक्त दर से अदा करना पड़ेगा।
8. यह है कि रहनकर्ता धोषणा करता है कि बन्धक सम्पत्ति हर प्रकार से भारमुक्त है। यदि किसी कारणवश बन्धक सम्पत्ति से सम्बन्धित मुकदमेबाजी होती है और रहन ग्रहीता को किसी तरह की हानि होती है तो रहनकर्ता रहन ग्रहीता के साथ प्रतिज्ञा करता है कि वह न केवल क्षतिपूर्ति करेगा बल्कि ऐसी सभी कानूनी जिम्मेदारियां जो कि रहन ग्रहीता को उपलब्ध हों, को ग्रहण करेगा जिसमें कुल ऋण को ब्याज व अन्य व्ययों सहित शीघ्र वसूल किया जाना भी शामिल है।
9. यह है कि रहनकर्ता रहन ग्रहीता से यह भी प्रतिज्ञा करता है कि रहन के पश्चात रहन ग्रहीता की पूर्व लिखित आज्ञा के बिना बन्धक सम्पत्ति को विक्रय, दान या अन्य किसी रूप में हस्तान्तरित नहीं करेगा। यदि इस प्रकार का कोई इन्तकाल किया गया तो रहन ग्रहीता को समस्त ऋण राशि को वापिस किये जाने की मांग करने और उस राशि को शीघ्र वसूल करने की बिना उस संकेत के जिसके लिए ऋण दिया गया है, अधिकार होगा और साथ ही ब्याज जिसकी दर रूपये प्रति वर्ष होगी व माँग करने की तिथि से वसूली तिथि तक उपरोक्त वर्णित व्ययों के सहित वसूल करने का अधिकार होगा।
10. यह है कि रहनकर्ता आगे रहन ग्रहीता के साथ प्रतिज्ञा करता है कि वह बराबर सरकारी भूराजस्व जो कि बन्धक सम्पत्ति पर सरकार का बनता है, देता रहेगा।
11. यह लेख न केवल उस राशि के लिये प्रतिभूत होंगे जोकि पहले बताई गई है बल्कि अन्य राशियों के लिये भी जो रहनकर्ता के प्रति रहन ग्रहीता को किसी प्रकार से देय है या बाद में देय होगी।
12. रहनकर्ता एतद द्वारा धोषणा करता है कि वह सम्पत्ति जो कि रहन-नामे के निर्देशित है वह पंजाब सिक्योरिटी आफ़ लैंड टैन्योरज एक्ट 1953, पैप्सू टैनेंसी व एग्रीकल्चरल लैंड एक्ट 1955 एवं हरियाणा सीलिंग आन लैंड होल्डिंग एक्ट 1972 जैसे भी हो, के सहित तदानुसार सुरक्षित रकबे के परमिसेबल क्षेत्र में से है।
13. रहनकर्ता आगे प्रतिज्ञा करता है कि यदि अनुज्ञेय क्षेत्र में से किसी प्रकार सरकारी भूमि के अन्तर्गत कमी होती है तो वह सम्पत्ति जो कि बन्धक प्रलेख में वर्णित है अनुज्ञेय क्षेत्र के लिये आरक्षित करने में प्राथमिकता दी जाएगी।

14. यह कि रहनकर्ता आगे स्वीकार करता है कि वह सम्पति जो उपरोक्त ऋण बारे रहन की गई है वह किसी अन्य व्यक्ति को पटटे पर नहीं देगा और स्वयं रहनकर्ता अपनी जोत में रखेगा जब तक कुल ऋण ब्याज सहित एवं अन्य व्यय रहन ग्रहीता को अदा नहीं की जाएगी। रहनकर्ता द्वारा अतिदेय होने की स्थिति में उपरोक्त अर्त जो क्रमांक 5 के अन्तर्गत दर्शायी गई है, लागू होगी।
15. यह है कि रहनकर्ता द्वारा लिए गए ऋण, उस पर लगे ब्याज व अन्य व्ययों का भुगतान कर दिए जाने के बाद रहन ग्रहीता, रहनकर्ता की प्रार्थना पर, बन्धक सम्पति को पुनः रहनकर्ता के या रहनकर्ताओं के या अन्य किसी ऐसे व्यक्ति के जिसके नाम रहनकर्ता प्रतिपादन करना चाहता हो, करा देगा और रहनकर्ता बन्धक सम्पति को वापिस करने में होने वाले व्यय के लिए स्वयं उत्तरदायी होगा।
16. यदि इस रहननामे की व्याख्या में किसी प्रकार की कंका उत्पन्न हो तो वह रजिस्ट्रार, सहकारी समीतियां, हरियाणा को भेजा जाएगा जिसका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
17. मैं एतद द्वारा रहन ग्रहीता को अधिकार देता हूँ कि वह सम्पति का विभाजन अपनी सुविधानुसार कराये।
18. यह कि रहनकर्ता यह भी इकरार करता है कि दिए हुए कर्जों की रकम परिश ट 'अ' में दी गई जायदाद से पूरी न हो तो रहनकर्ता द्वारा ऋण व ब्याज एवं कोई दूसरी रकम जो कि रहनकर्ता के जिम्मे देने योग्य हो उसके लिए भी जाति तौर पर देने का जिम्मेवार होगा। रहनकर्ता की स्थिर और अस्थिर सम्पति को उपरोक्त बताएं गये ऋणों को वसूल करने के लिए बिना अदालत के हस्तक्षेप के बेची जा सकती है।
19. यह कि रहनकर्ता को किसी भी प्रकार से रहन ग्रहीता की आज्ञा के बिना उस ट्रैक्टर/पशु/मशीन व अन्य जो बैंक ऋण से खरीद किया जाएगा, बेचने का अधिकार नहीं होगा जिसका बीमा रहनकर्ता प्रतिवर्ष स्वयं करवाएगा। यदि रहनकर्ता बीमा करवाने में असमर्थ रहता है तो उसकी लिखित प्रार्थना पर रहन ग्रीहता बीमा करवाएगा तथा इस बारे खर्च की गई राशि रहनकर्ता के ऋण खाते में डाल देगा जिसकी अदायगी करने की जिम्मेदारी रहनकर्ता की होगी। लगातार तीन वर्ष तक किस्ते अतिदेय होने पर बैंक बीमा नहीं करवाएगा।
20. यह कि उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त रहनकर्ता यह भी प्रतिज्ञा करता है कि रहन ग्रहीता द्वारा ऋण राशि स्वीकृत करने पर तथा ऋण वितरण से पहले वे सभी शर्तें जो कि "ऋण स्वीकृति पत्र" में दर्शायी जाएंगी, उन्हें उचित ढंग से नियमानुसार पूरा करेगा।
21. यह कि रहनकर्ता/रहनकर्ताओं को इस रहननामे का विषय पढ़कर सुनाया व समझाया गया है जिसको सुनकर व समझकर सही माना और स्वीकार किया है। मैं/हम बिना किसी दबाव के तथा स्वस्थ मन से अपने हस्ताक्षर कर रहा हूँ/रहे हैं।

साक्षी नं० 1

साक्षी नं० 2

रहनकर्ता

श्री

श्री

श्री

सुपुत्र श्री

सुपुत्र श्री

सुपुत्र श्री

गाँव

गाँव

गाँव

डाकखाना

डाकखाना

डाकखाना

तहसील

तहसील

तहसील

जिला

जिला

जिला

हस्ताक्षर :.....

हस्ताक्षर :.....

भूमि मूल्यांकन अधिकारी।

शाखा प्रबन्धक

दी जिला प्राथमिक सहकारी

दी जिला प्राथमिक सहकारी

कृषि एवंम् ग्रामीण विकास बैंक सीमित,

कृषि एवंम् ग्रामीण विकास बैंक सीमित

शाखा..... (सहकारी समीति)

शाखा..... (सहकारी समीति)

(नाम व कार्यालय मोहर के साथ)

(कार्यालय मोहर के साथ)

परिशिष्ट 'अ'

रहन की हुई जायदाद का विवरण

निम्नलिखित खसरा नम्बरों की जमीन या जमीनों और मकानों सहित या दूसरी चीजें जो कि ऐसी जमीनों पर हैं हर एक के आगे लिखे स्थान पर स्थित हैं।

क्र० सं०	नाम, ग्राम, डाकखाना, थान तहसील और जिला हदबस्त संख्या सहित	खसरा नं०	खतौनी नं.	भूमि की किसम नहरी, चाही, सैलाब, बरानी	रकबा	
					कनाल/बीघा	मरले/विस्ते
01	02	03	04	05	06	07
	नाम ग्राम डाकखाना थाना तहसील जिला हदबस्त संख्या					

साक्षी नं० 1

रहनकर्ता

निशान अंगूठा या हस्ताक्षर

निशान अंगूठा या हस्ताक्षर

श्री

श्री

सुपुत्र श्री

सुपुत्र श्री

गाँव

गाँव

डाकखाना

डाकखाना

तहसील

तहसील

जिला

जिला

साक्षी नं० 2

हस्ताक्षर :

निशान अंगूठा या हस्ताक्षर

भूमि मूल्यांकन अधिकारी ।

श्री

(नाम व कार्यालय मोहर के साथ)

सुपुत्र श्री

गाँव

डाकखाना

हस्ताक्षर शाखा प्रबन्धक

तहसील

(नाम व कार्यालय मोहर के साथ)

जिला

SCHEDULE

**Declaration under section 4(1) of the Haryana Agricultural Credit Operations and
Miscellaneous Provisions (Banks) Act-1973**

I _____ (aged _____ years) residing at _____, being desirous of availing myself of financial assistance to extend of Rs. _____ (Rs. in words _____) for the purpose of _____ from the _____ District Primary Cooperative Agriculture & Rural Development Bank Ltd, Branch _____, and make this declaration as required by section 4(1) of the **Haryana Agricultural Credit Operations and Miscellaneous Provisions (Banks) Act-1973**, that I _____ own/have interest as tenant in the land prescribed below, and I hereby create a charge on the said land/interest in land favour of the bank for securing the financial assistance which the bank may make and for all future assistance, if any, which the bank may make to me together with interest and costs and expenses thereon.

Hadbast No.

Khatauni No.

In witness whereof, I, _____ here under set my hand this _____
day of _____ in the year two thousand and _____

Witnesses:-

Signed and delivered by the above named of the presence of _____

(1) _____

(2) _____

Signature of Declarant.

Attested by _____

Endst. No. DPCARDB/_____/2016/M/_____ Dated: _____

Forwarded three copies (sets) with compliments to the Tehsildar/Revenue Officer _____ with a request to include the particulars of the charge on land created under the declaration in the record of rights and to return three copies(sets) to the bank for its record.

Place: _____

Branch Manager (Coop. Society),
With Name & Office Seal.

No. _____

Dated: _____

Returned three copies (sets) with compliments to the Manager the _____ District Primary Cooperative Agriculture & Rural Development Bank Ltd, Branch _____ (Coop. Society). The charge created under the declaration is duly included in the record-of-rights on the _____ day of _____ 20.....

Tehsildar / Revenue Officer
With Office Seal

Endst. No. DPCARDB/_____/2016/M/_____

Dated: _____

Forwarded three copies (sets) with compliments to the Sub-Registrar tehsil _____ with a request to record the particulars of the charge on land created under the declaration in this office.

Branch Manager (Coop. Society),
With Name & Office Seal.

No. _____

Dated: _____

Returned two copies (sets) with compliments to the Manager, the _____ District Primary Cooperative Agriculture & Rural Development Bank Ltd, Branch _____ (Coop. Society). The charge created under the declaration is duly recorded.

Sub- Registrar,
With Office Seal .